भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1950

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई</u>

1950. डा. टी. एन. सीमा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेशकों की शिकायतों के निपटारे हेतु उन सभी मामलों पर कार्रवाई की जाती है जिनके लिए सरकार द्वारा कार्रवाई करने का विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निवेशकों की शिकायतों का समाधान किस प्रकार किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसी कपटपूर्ण कंपनियों की गैर-कानूनी गतिविधियों पर कार्रवाई में विलंब होने और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का उचित रूप से पालन न होने के कारण नियंत्रण नहीं हो पाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ की गई है; और

(च) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने का विचार रखती है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क), (ख) और (ग): जी, हां। मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त निवेशकों की शिकायतें सुधारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित कंपनियों को अग्रेषित की जाती हैं। यदि कंपनी शिकायतकर्ताओं की शिकायत का समाधान नहीं करती है और/या कंपनी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन करती हुई पायी जाती है तो कंपनी अधिनियम, 2013/1956 के उपबंधों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में समय-समय पर आयोजित 'निवेशक शिकायत समाधान फोरम' की बैठकों में शिकायतकर्ता और कंपनियों के प्रतिनिधि मिलते हैं और निवेशक शिकायतों के समाधान पर चर्चा करते हैं।

(घ), (ड.) और (च): कंपनियों के कथित गैर-कानूनी कार्यकलापों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षण, जांच और, जहां आवश्यक हो, अभियोजन दायर किए जाते हैं। वर्ष 2012-13 में 73 कंपनियों, 2013-14 में 66 कंपनियों और 2014-15 में 102 कंपनियों के विरूद्ध निवेशकों की शिकायतों के संबंध में अभियोजन दायर किए गए हैं।

*****